61-IV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA N CIAL

27 MAR 2019

SARDHANA (MEERUT)

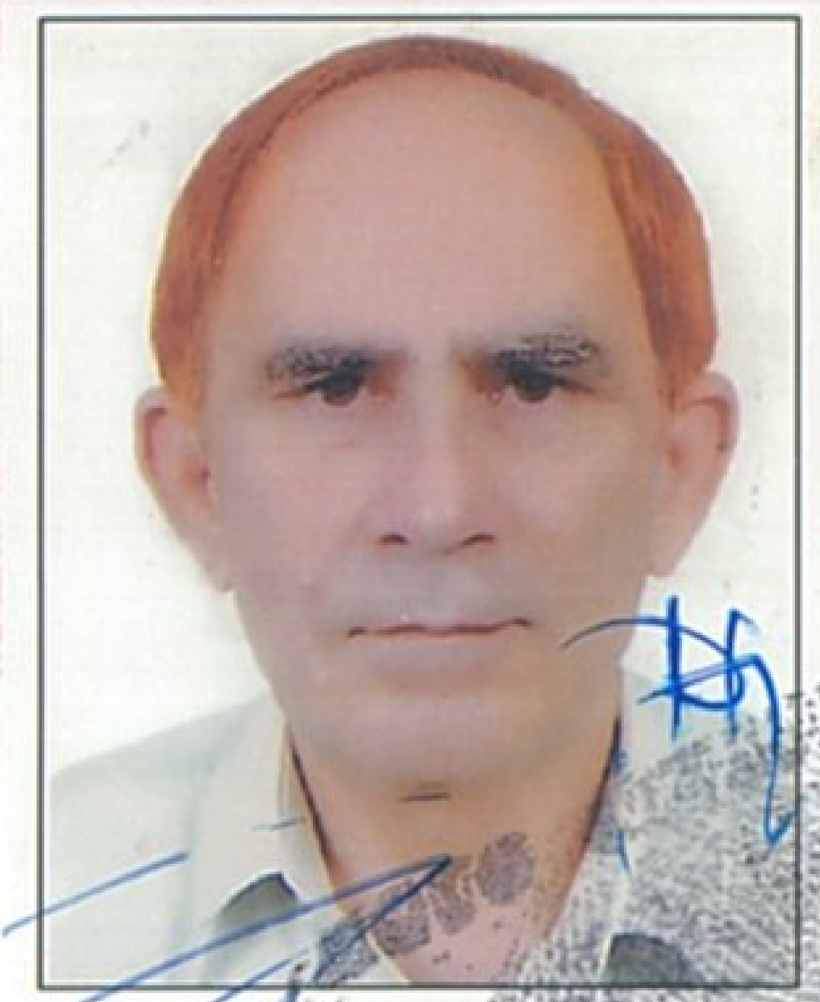

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 174404

ट्रस्ट डीड
(न्यास की घोषणा)

मैं **डॉक्टर देवी सिंह पुत्र श्री मुंशी सिंह, टी एच--197, पल्लवपुरम, फेस–2, मोदीपुरम, मेरठ 250110** का निवासी हूँ। मेरी माता की बड़ी ही हार्दिक इच्छा थी कि एक ट्रस्ट कायम करें जिससे समाज सेवा व शिक्षा का उत्थान हो सके एवं ग्रामीण परिवेश के गरीब छात्र/छात्राओं को उच्च स्तर तक एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण करायी जा सके। इसलिए हमने उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए **''शिक्षण प्रशिक्षण ट्रस्ट''** बनाने का संकल्प लिया है। मैं अपनी माता की प्रेरणा से प्रेरित होकर इस ट्रस्ट की घोषणा करता हूँ। हम ट्रस्टीज़ ने इस अच्छे काम के लिए अंकन 10,000/– (दस हजार) रुपये इस ट्रस्ट को समर्पित किया है। जो इस ट्रस्ट की स्थायी निधि होगी। इस ट्रस्ट में कोई अचल सम्पत्ति अभी समाहित नही है। इस ट्रस्ट का नाम, कार्यालय, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्य एंव कार्यावधि निम्न प्रकार होगी।

1. ट्रस्ट का नाम : ''कृष्णा देवी ट्रस्ट''
2. ट्रस्ट का पताः टी एच–197, पल्लवपुरम फेस–2, मोदीपुरम, तहसील सरधना जिला मेरठ
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।
4. ट्रस्ट के उद्देश्य :–

30

2

क्रम सं० ....

खरीदार का नाम .... पुत्र ....

पता ....

लेखपत्र का प्रकार ....

स्टाम्प बेचने ....

स्टाम्प विक्रेता का नाम– शहजाद खाँ

लाइसेंस संख्या/वर्ष– SRD-1

विक्रय स्थल का नाम– तहसील कम्पाउन्ड सरधना (मेरठ)

विक्रय का दिनांक– 9.4.19

ह० स्टाम्प विक्रेता

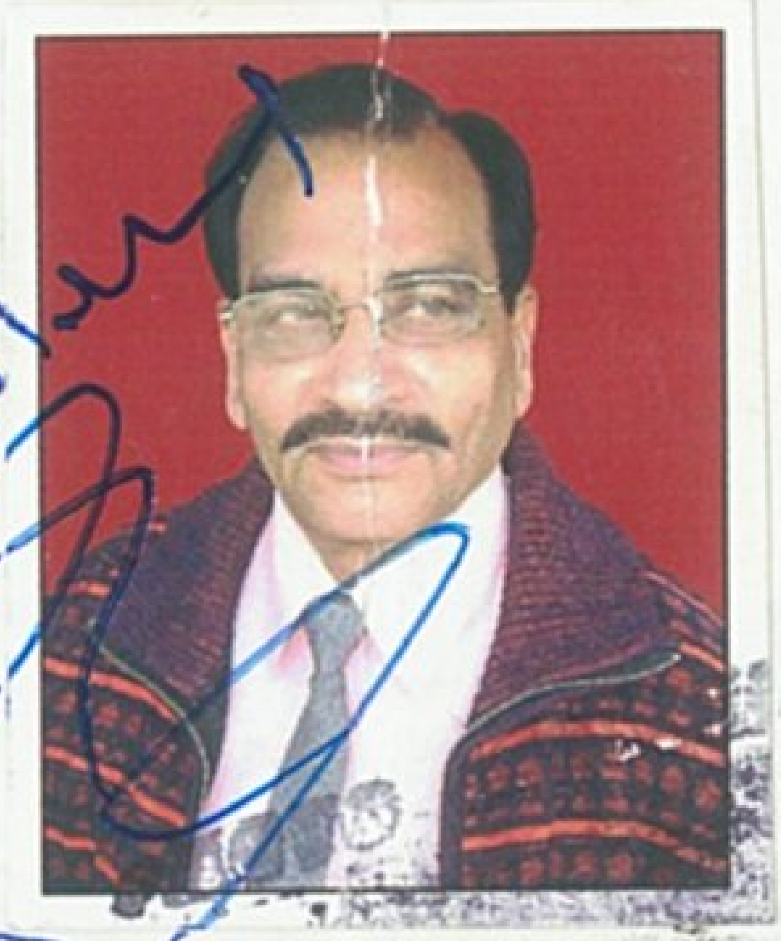

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2 APR 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ER 730295

1. ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना।
2. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महिला विद्यालय, महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि की स्थापना व संचालन एंव प्रबन्ध करना।
3. ट्रस्ट द्वारा माध्यमिक विद्यालय, पब्लिक स्कूल आदि की स्थापना व संचालन एवं प्रबन्धन करना।
4. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रति पूर्ण रूझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।
5. ट्रस्ट द्वारा भविष्य में पैरा मेडिकल, मेडिकल चिकित्सालय, डेन्टल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, अल्पसंख्यक विद्यालयों, आवासीय विद्यालयो, बी0टी0सी0, बी0एड0, टेक्निकल कॉलेजों एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उनका संचालन एवं प्रबन्ध करना।
6. ट्रस्ट द्वारा गरीब और अनाथ बालक एवं बालिकाओं के लिए निः शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना एवं निः शुल्क पोषण एवं प्रशिक्षण हेतु प्रयास करना।

क्र० 21 ता० 9-4-19 रू० 14

यह स्टाम्प साथ में 3 ने सम्मिलित किया।

हस्ताक्षर
स्टाम्प विक्रेता
तह० सरधना

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

SUB TREASURY
2 APR 2019
SARDHANA (MEERUT)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ER 730296

7. ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक नैतिक एंव सामाजिक स्तर के सुधार हेतु ज्ञानवर्धक पुस्तकों का भण्डारण करना तथा उसके माध्यम से लोगो में जागृति का संचार करना।

8. ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक/युवतियों एंव बालक/बालिकाओं के लिए खेलकूद व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

9. ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं की समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना।

10. ट्रस्ट द्वारा लाइब्रेरी, खोलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना।

11. ट्रस्ट द्वारा गरीबों अथवा अन्य कारणवश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच में ही छोड़ देने वाली महिलाओ, बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, कन्डेंस्ड कोर्स चलाना।

12. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा, आदि के संचालन हेतु भवन निर्माण करना व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।

13. ट्रस्ट द्वारा बालक एंव बालिकाओं को सफल बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि कम्प्यूटर, शार्टहैंड फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

सं0 32 दि0 9-4-19 ई0 1

[illegible] स्टाम्प वाद सं 3a में सम्मिलित किया।

सहायक [illegible]

स्टाम्प वि[illegible]

[illegible] सम्भाग [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 709947

14. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा एंव समाजोत्थान हेतु वैज्ञानिक संगोष्ठियों परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना।
15. ट्रस्ट द्वारा साम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।
16. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना।
17. ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

ट्रस्ट के धन का विनियोगः–

1. ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।
2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एंव व्यय करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, रेहंन रखना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हों उन्हें करना।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश–विदेश से दान व ऋण प्राप्त करना व पथ्य किराये पर लेना या देना या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

33 9-4-19 50

क्र० ....

[illegible] स्टाम्प साथ नं .... 30 [illegible]

[illegible]

स्टाम्प

तह० सरधना ([illegible]

4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय, प्रबन्ध हस्तांतरण, विनियम, बंधक, दृष्टि बंधक पट्टे, गिरवी या किसी भी भांति से उपयोग में लाना।

5. अपने समस्त कार्यों हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हो, अर्थात ़ लाभकारी हों।

ट्रस्ट मण्डल :—

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमें समस्त पदाधिकारी व सदस्य ट्रस्टीज़ होगें। सदस्यों की संख्या न्यूनतम 08 (आठ) होगी।

ट्रस्ट के संस्थापक पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा जिनको इस ट्रस्ट में कार्यभार सौपा गया है।

क्रम संख्या	नाम	पिता / पति का नाम	पद	निवास का पता
1.	डॉ0 देवी सिंह	स्व0 श्री मुंशी सिंह	संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक / अध्यक्ष / सचिव	टी एच—197, पल्लवपुरम फेज—2, मोदीपुरम, मेरठ 250110
2.	डॉ0 पंकज कुमार सिंह	डॉ0 देवी सिंह	सदस्य	टी एच—197 पल्लवपुरम फेज—2, मोदीपुरम, मेरठ
3.	श्रीमती उर्मिला देवी	डॉ0 देवी सिंह	सदस्य	टी एच—197, पल्लवपुरम फेज—2, मोदीपुरम, मेरठ
4.	श्री शुभम कल्याण	श्री सुरेन्द्र सिंह	कोषाध्यक्ष	56 ग्राम अहमदपुर जिला शामली उत्तर प्रदेश 247772
5.	श्रीमती शालू	श्री रजत कुमार	सदस्य	23 ग्राम पाण्डोखेडी पोस्ट नानौता जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247452
6.	श्री सुधीर कुमार	स्व0 श्री नकली सिंह	सदस्य	23 ग्राम पाण्डोखेडी पोस्ट नानौता जिला सहारनपुर उत्तर

				प्रदेश 247452
7.	डा0 शशी कुमार	स्व0 श्री रघुवीर सिंह	सदस्य	बी 5/6 अपार्टमेन्ट नम्बर 4409. वसंत कुंज नई दिल्ली 110070
8.	श्री सुरेन्द्र सिह	श्री अतर सिंह	सदस्य	56 ग्राम अहमदपुर जिला शामली उत्तर प्रदेश 247772

उपरोक्त ट्रस्टीगण अपने उत्तराधिकारी / नामित व्यक्ति की घोषणा करने हेतु अधिकृत होगें।

2. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक का पद आजीवन बना रहेगा तथा उनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त पद की समस्त शाक्तियां मुख्य प्रबन्धक द्वारा नामित व्यक्ति में निहित हो जायेगी तथा तब नामित व्यक्ति ही मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक होगा।

3. ट्रस्ट में नामित एवं वार्षिक सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार बैठक करके की जा सकती है।

4. ट्रस्ट के सस्थापक सदस्यों व पदाधिकारियों/ट्रस्टीयों का कार्यकाल आजीवन होगा।

5. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा में ट्रस्टी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर द्वारा समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

6. ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर उनके अधिकारों को समाप्त करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी/मैनेज़र के पास सुरक्षित होगा।

7. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा।

8. ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के ट्रस्टी/प्रबन्धक की सहमति के बाद ही मान्य होगा।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्टी/प्रबन्धक की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल विभिन्न समूहों (समितियों) का गठन कर सकेगा।

10. ट्रस्ट मण्डल ट्रस्टी/प्रबन्धक के अनुमोदन से ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु नियमावली बना सकता है एवं उसे जारी कर सकता है व उसमे संशोधन कर सकता है।

ट्रस्ट मण्डल की बैठकः— ट्रस्ट मण्डल की सामान्य बैठक कभी भी तीन दिवस की लिखित सूचना पर एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित/मौखिक सूचना पर बुलाई जा सकती है।

ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्यः—

1. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा सचल की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उददेश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे की ट्रस्टीगण उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यो में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।
3. यह कि न्यासीगण को पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृति देना।
4. ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करके उसे पास करना।
5. आगामी वर्ष के बजट पर चर्चा करके उसे पास करना।
6. ट्रस्ट की नियमावली में ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा किये गये संशोधन को ट्रस्ट के हित में मंजूरी देना।
7. किसी ऐसे मामले के बारे में कार्यवाही करना जिसे कार्यवाही हेतु मीटिंग में पेश किया हो।
8. किसी विशेष आवश्यकता के लिए ट्रस्टी/प्रबन्धक की सहमति से सब कमेटी बनाना।

ट्रस्ट की सदस्यताः— हर वह स्त्री अथवा पुरूष जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल अथवा दिवालिया न घोषित हो, वह नामित सदस्यता शुल्क रूपये 5000 (भारतीय सदस्य)/अमेरिकन डॉलर 5000 (विदेशी सदस्य) 5 वर्ष के लिए व वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपये 500 (भारतीय सदस्य) अमेरिकन डॉलर 500

(विदेशी सदस्य), 1 वर्ष के लिए अदा करेगा तब वह ट्रस्टी/प्रबन्धक के लिखित अनुमोदन से ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है।

ट्रस्टीज़ के प्रकार :–

1. **आजीवन सदस्य–** जो सदस्य सूची में संख्या 1 से 08 तक दर्ज है वह आजीवन सदस्य कहलायेगें और उनका कार्यकाल आजीवन होगा एवं उन्हे किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क देय न होगा।
2. **नामित सदस्य–** जो व्यक्ति ट्रस्ट को निःस्वार्थ भाव से नामित सदस्यता के लिए सदस्यता शुल्क रूपये 5000 (भारतीय सदस्य)/अमेरिकन डॉलर 5000 (विदेशी सदस्य) 5 वर्ष के लिए देगा और सदस्यता हेतु मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक से लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा तब वह ट्रस्ट का नामित सदस्य बनाया जाएगा।
3. **वार्षिक सदस्य–** जो व्यक्ति ट्रस्ट को निः स्वार्थ भाव से वार्षिक सदस्यता शुल्क 1 वर्ष के लिए 500 (भारतीय सदस्य)/अमेरिकन डॉलर 500 (विदेशी सदस्य) देगा और सदस्यता हेतु मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक से लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा तब वह ट्रस्ट का वार्षिक सदस्य बनाया जाएगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ :– ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत कार्य करने वाला समूह बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कहलायेगा। जिसमें ट्रस्टी/प्रबन्धक भी सम्मिलित है।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठकः– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी, जो आवश्यकतानुसार 3 दिन पूर्व सभी सदस्यो को एजेण्डा द्वारा सूचना देकर बुलाई जा सकती है एवं आवश्यक बैठक 24 घण्टे पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

रिक्त स्थानों की पूर्तिः– ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत समय से पहले अचानक किसी पदाधिकारी/सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति ट्रस्टी/प्रबन्धक के निर्णय से ट्रस्ट मण्डल में से की जायेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के ट्रस्टी/प्रबन्धक ता उम्र अपने पद पर बने रहेंगे। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक का पद आजीवन बना रहेगा तथा उनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त पद समाप्त हो जायेगा तथा उनके पद की समस्त शक्तियां उनके द्वारा नामित व्यक्ति में निहित हो जायेगी तथा अब नामित व्यक्ति ही मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक होगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. ट्रस्ट की वार्षिक रिर्पोट तैयार करना/करवाना।
3. ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की देख–रेख व सुरक्षा करना।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए हर वो कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हो।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :– ट्रस्ट की स्थापना करना व अपनी देख रेख में ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से कराना।

1. ट्रस्ट मे मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
3. कर्मचारियों को नियुक्ति, पदोन्नति निलम्बन एवं सेवामुक्ति करना।
4. ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
5. ट्रस्ट का कार्यालयी प्रबंध देखना।
6. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
7. ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
8. ट्रस्ट के बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को देना।
9. समस्त कर्मचारियो को लाभ प्रदान करना, वेतन देना, वेतन में वृद्धि एवं कटौती करना अथवा उन लोगों द्वारा लिए गये ऐसे निर्णय जो ट्रस्ट अथवा उसके लिए अहितकारी या अलाभकारी हो, उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाना।
10. समस्त कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्द्धन करना।
11. ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटियों (समितियों) (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियाँ/समितियां सम्मिलित हैं) को तैयार करना।
12. ट्रस्ट के हितों के विरूद्व कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करना अथवा ऐसा करने की संस्तुति देना।
13. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाने की लिखित मंजूरी देना।
14. प्रशासकीय कार्यो के दायित्वों का निर्वाहन करना।
15. ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना।
16. ट्रस्ट के विकास हेतु दान–अनुदान चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।
17. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।

आवेदन सं०: 201900732006979

न्यास पत्र

बही स०: 4 **रजिस्ट्रेशन स०: 61** **वर्ष: 2019**

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 280

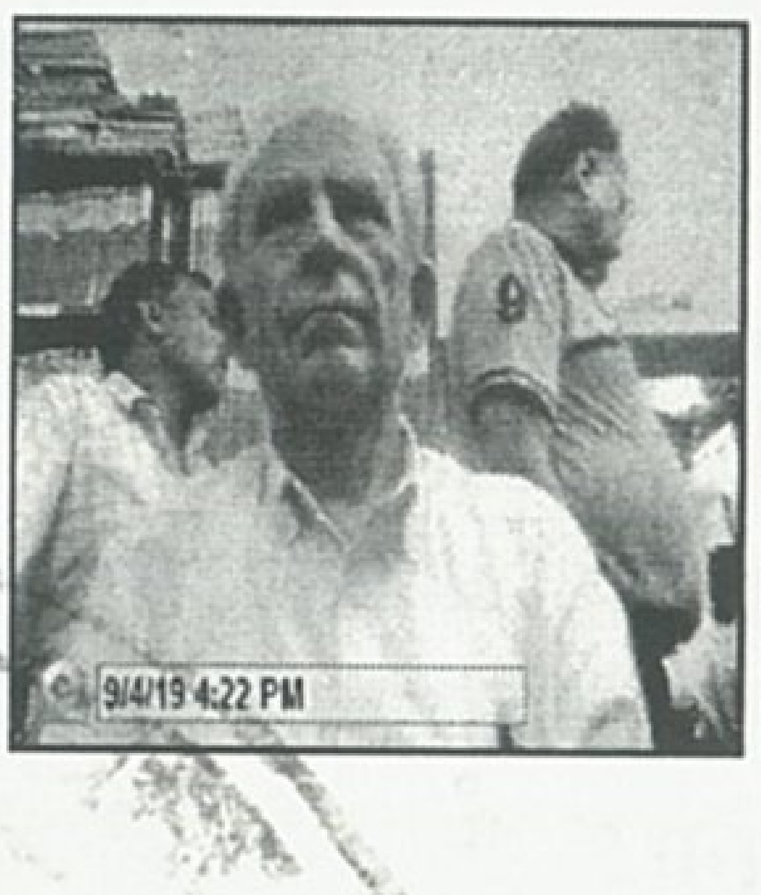

श्री डॉक्टर देवी सिंह ,
पुत्र श्री मुंशी सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: टी एच–197 पल्लवपुरम फेस 2 मोदीपुरम मेरठ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 09/04/2019 एवं 04:24:00 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

09/04/19

माया प्रसाद प्रभारी
उप निबंधक :सरधना
मेरठ
09/04/2019

शरद श्री वास्तिव
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

18. चल एंव अचल सम्पत्ति की देख–रेख व सुरक्षा करना।
19. समस्त संस्थाओं / एंजेसियों / विभाग / मंत्रालय से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
20. बैंक खाते का संचालन कोषाध्यक्ष व मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक / अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
21. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
22. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एंव कर्तव्य :–

1. ट्रस्टी / प्रबन्धक की अनुपस्थिती में उनके द्वारा दिये लिखित अधिकारों का प्रयोग करना।
2. ट्रस्ट के बैठकों की सूचना प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।
3. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
4. मुख्य ट्रस्टी के निर्देशानुसार से पत्र व्यवहार करना।
5. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
6. ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
7. मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

ट्रस्ट का कोषः– ट्रस्ट का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैंक या ग्रामीण बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका आहरण ट्रस्टी / प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। असाधारण परिस्थियो में कोषाध्यक्ष के किन्ही कारणो से लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने पर ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था के कर्मचारियो को वेतन देने हेतु A/C Payee (खाता देयी) चैक मुख्य प्रबन्धक द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण / आडिटः– ट्रस्ट के आय–व्यय का परीक्षण / आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा जिसकी नियुक्ति ट्रस्टी / प्रबन्धक के निर्णय से होगी। हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

ट्रस्ट के नियमों / विनियमों मे सशोधन की प्रक्रिया– ट्रस्ट के नियमों विनियमों मे संशोधन की यदि अवश्यकता समझी जाती है तो ऐसे नियमों / विनियमों मे संशोधन की सहमति बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में बहुमत से की जा सकेगी और ऐसे संशोधन को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूरक ट्रस्ट डीड देकर ट्रस्टी / प्रबन्धक द्वारा पंजीकृत कराया जायेगा।

आवेदन सं०: 201900732006979

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 61 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री डॉक्टर देवी सिंह, पुत्र श्री मुंशी सिंह

निवासी: टी एच–197 पल्लवपुरम फेस 2 मोदीपुरम मेरठ

व्यवसाय: अन्य

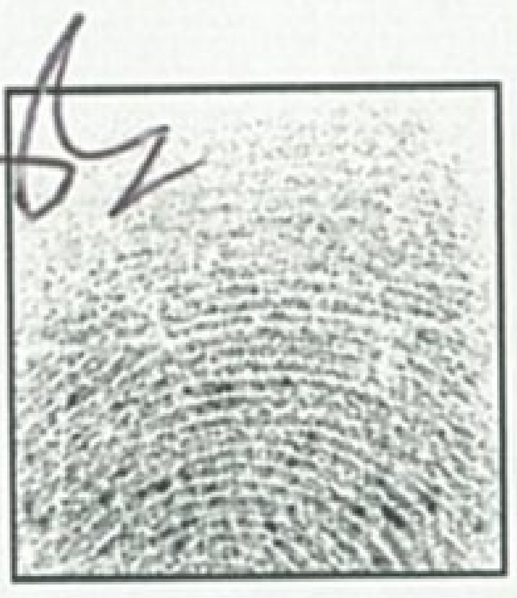

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सुन्दर , पुत्र श्री रमेश चन्द

निवासी: ग्राम कुतुबगढ शामली पासपोर्ट एल1906886

व्यवसाय: अन्य

सुन्दर

पहचानकर्ता : 2

श्री दिनेश कुमार गोयल एड० , एडवोकेट

निवासी: तहसील कम्पाउण्ड सरधना मेरठ

व्यवसाय: वकालत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

09/4/19

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए है ।
टिप्पणी :

माया प्रसाद प्रभारी
उप निबंधक : सरधना
मेरठ

शरद श्री वास्तव
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः– ट्रस्ट द्वारा होने वाले समान अदालती कार्यवाही की पैरवी ट्रस्टी/प्रबन्धक अथवा उनके द्वारा अधिकृति व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा की जायेगी।

दायित्वः– ट्रस्ट की प्रदत ऋणों की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व ट्रस्टी मण्डल के सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक–पृथक रूप से होगा और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्व के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत मे देंगे तथा यह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा।

यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगें तो ट्रस्ट के सभी सम्पत्तियो/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सम्पत्तियो/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट के सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं तथा उसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी वह ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

दिनांक 09.04.2019 (नो अप्रैल सन दो हजार उन्नीस ई0)
प्रालेखः दिनेश कुमार गोयल एडवोकेट, सरधना (मेरठ)

Dinesh Kumar Goel
Advocate
SARDHANA (MEERUT)

[illegible]
रमेश चन्द्र
गाव. [illegible]
तह० शामली जि० शामली

आवेदन सं०: 201900732006979

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 55 के पृष्ठ 229 से 250 तक क्रमांक 61 पर दिनाँक 09/04/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

09/04/19

माया प्रसाद प्रभारी
उप निबंधक : सरधना
मेरठ
09/04/2019

प्रिंट करें

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सरधना मेरठ क्रम 2019259009758

आवेदन संख्या : 201900732006979

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2019-04-09 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम डॉक्टर देवी सिंह

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000 / 0

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 200

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 80

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख़्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 280

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2019-04-09 00:00:00

दिनाँक जव लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2019-04-09 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

देवी ट्रस्ट (रजि सं0—49 / 2019)
मुख्य ट्रस्टी

देवी ट्रस्ट (रजि सं0—49 / 2019)
कोषाध्यक्ष